न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट चौमूँ, जिला जयपुर

मु.न. 15/2013

उनवान

1. भगवान सहाय पुत्र स्व. बोदूराम
2. चौथमल पुत्र स्व. बोदूराम
3. गंगाराम पुत्र स्व. बोदूराम
4. सीताराम पुत्र स्व. बोदूराम
5. मनफूली देवी पुत्री स्व. बोदूराम

समस्त जाति कुम्हार, निवासी मोरीजा रोड़, पॉवर हाऊस के पीछे, बन्धे के पास, कस्बा चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

——प्रार्थीगण

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र स्व. मुरलीधर
2. बिरदीचन्द पुत्र स्व. मुरलीधर

समस्त जाति कुम्हार, निवासी कुम्हारों का मौहल्ला, वार्ड नम्बर 28, कस्बा चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

3. ईश्वरलाल पुत्र स्व. मुरलीधर (मृतक दौराने प्रार्थना पत्र)

3/1 मैना देवी पत्नी स्व. ईश्वरलाल

3/2 दुर्गाप्रसाद पुत्र स्व. ईश्वरलाल

समस्त जाति कुम्हार, निवासी कुम्हारों का मौहल्ला, कस्बा चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

4. मोहनलाल पुत्र भूराराम
5. मदनलाल पुत्र भूराराम
6. सेडूराम पुत्र भूराराम
7. केशरीदेवी पुत्री भूराराम
8. रमेशचन्द्र पुत्र गुलाबचन्द पौत्र भूराराम
9. गणेश पुत्र गुलाबचन्द पौत्र भूराराम
10. सुरेश पुत्र गुलाबचन्द पौत्र भूराराम
11. छोटूराम पुत्र गुलाबचन्द पौत्र भूराराम
12. महावीर पुत्र गुलाबचन्द पौत्र भूराराम

समस्त जाति कुम्हार, निवासी मोरीजा रोड़, पॉवर [illegible] पीछे, बन्धे के पास, कस्बा चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

13. गीता देवी पुत्री गुलाबचन्द पत्नी [illegible] निवासी मुण्डोता, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
14. प्रेम देवी पुत्री गुलाबचन्द पत्नी लक्ष्मण, जाति कुम्हार निवासी ग्राम मुण्डोता तहसील आमेर जिला जयपुर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Surana
Date: 2021.03.15 14:23:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौमूं जिला जयपुर

Scanned with CamScanner

15. बिना कंवर पत्नी स्व. नरेन्द्र सिंह
16. सतेसिंह पुत्र स्व. नरेन्द्र सिंह
17. प्रतापसिंह पुत्र स्व. नरेन्द्र सिंह
18. सीमाकंवर पुत्री स्व. नरेन्द्र सिंह
    समस्त जाति राजपूत, निवासी ग्राम ढोढ़सर, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
19. महावीर प्रसाद पुत्र राधेश्याम जोशी, निवासी ग्राम ढोढसर, तहसील चौमूं जिला जयपुर।
20. उपपंजीयक महोदय, चौमूं, जिला जयपुर।
21. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

—— मुख्य अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 रा0टि0ऐक्ट एवं आदेश 39 रूल 1 व 2 व धारा 151 जाप्ता दीवानी

निर्णय दिनांकः–22.02.2021

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण वादीगण व अप्रार्थीगण प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 एक ही परिवार के व्यक्ति हैं तथा प्रार्थीगण वादीगण मोरीजा रोड़, बन्धे के पास अपनी पुश्तैनी कब्जे की भूमि में निवास करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण वादीगण व अप्रार्थीगण प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 का सजरा खानदान निम्न प्रकार से हैं।

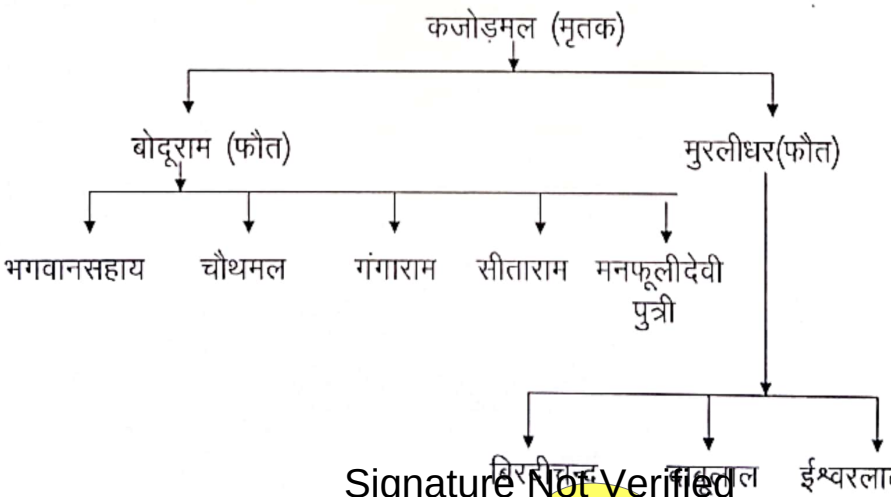

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Surana
Date: 2021.03.15 14:23:40 IST
Reason: SelfAttested

वाके ग्राम चौमू, पंटवार हल्का चौमूं, तह[illegible] चौमूं, जिला जयपुर में साबिक खसरा नम्बर 1790 एक [illegible] बाद में खसरा नम्बर 1790/2/5 एवं 1790/2/7 बने। उक्त स[illegible] गत ख०न0 1790/2/5 रकबा 2 बीघा भूमि से बने हाल खसरा नम्बर 3711 रकबा 0.51 हैक्टर तथा साबिक खसरा नम्बर 1790/2/7 से बने हाल खसरा नम्बर 3711/7426 रकबा

उपखण्ड अधिकारी
जिला जयपुर

Scanned with CamScanner

0.48 हैक्टर, खसरा नम्बर 3712 रकबा 0.13 हैक्टर, खसरा नम्बर 3713 रकबा 0.22 हैक्टर, खसरा नम्बर 3715 रकबा 0.32 हैक्टर, खसरा नम्बर 3718 रकबा 0.11 हैक्टर कुल किता 5 का कुल रकबा 1.26 हैक्टर स्थित है। जो भूमियां विवादग्रस्त हैं। जिन्हें प्रार्थना–पत्र के मदों में भूमि विवादग्रस्त कहा गया है।

प्रार्थना–पत्र में वर्णित भूमि विवादग्रस्त, जो कि कस्बा चौमूं में मोरीजा रोड़, पॉवर हाऊस के पीछे, अलमशहूर कुम्हारो की बन्नी के नाम से विख्यात रही है। उक्त भूमि विवादग्रस्त का साबिक खसरा नम्बर 1790 एक चक के रूप में रहा है। जिसके बाद खसरा नम्बर 1790/2/7 व खसरा नम्बर 1790/2/5 व अन्य बटा नम्बर बन गये तथा हाल सेटलमेन्ट के नक्शे में तरमीम किया गया है, लेकिन उक्त विवादित भूमियों पर प्रार्थीगण वादीगण के पिता स्वर्गीय बोदूराम पुत्र स्व0 कजोड़ व अप्रार्थी प्रतिवादी सं0 1 ता 3 के पिता स्व० मुरलीधर पुत्र स्व0 कजोड़ कुम्हार बराबर पुश्तैनी रूप से काबिज चले आ रहे थे तथा प्रार्थीगण वादीगण के पिता स्वर्गीय बोदूराम व अप्रार्थीगण प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 के पिता मुरलीधर अपने जीवन काल में खसरा नम्बर 1790 की भूमि पर काश्तकारी कानून प्रभाव में आने से पूर्व से साधिकार निरन्तर रूप से काबिज काश्त रहते आये है।

प्रार्थना–पत्र में वर्णित भूमि विवादग्रस्त पर प्रार्थीगण वादीगण के पिता स्व0 बोदूराम व अप्रार्थी प्रतिवादी सं0 1 ता 3 के पिता स्व0 मुरलीधर काबिज काश्त चले आ रहे थे तथा पूर्व में प्रार्थीगण वादीगण व अप्रार्थी प्रतिवादी सं0 1 ता 3 के दादा कजोड़ काबिज थे, लेकिन कर्ता खानदान मुरलीधर ही था, जिसने दौराने बन्दोबस्त वालों से सांठ–गांठ कर उक्त भूमि खसरा नम्बर 1790/2/5 रकबा 2 बीघा सम्पूर्ण मुरलीधर ने अपने नाम से दर्ज करवा ली तथा खसरा नम्बर 1790/2/7 की भूमि में मुरलीधर ने 1/4 हिस्सा की खातेदारी अपने नाम दर्ज करवा ली थी, जबकि प्रार्थीगण वादीगण के पिता बोदूराम व अप्रार्थी प्रतिवादी सं0 1 ता 3 के पिता मुरलीधर के बराबर–बराबर खातेदारी दर्ज होनी चाहिए थी, जिस खातेदारी में 1/2 हिस्सा प्रार्थीगण वादीगण के [illegible] अपने नाम दर्ज करवाने हेतु कहता रहा तथा पिता के स्वर्गवास के पश्चात [illegible] वादीगण अपने नाम दर्ज करवाने हेतु काफी समय से कहते रहे, लेकिन अप्रार्थीगण प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 व इनके पिता मुरलीधर द्वारा आश्वासन देते रहे है कि तुम उक्त भूमियों की 1/2 हिस्से की भूमि पर काबिज चले आ रहे हो, जब सेटलमेन्ट आयेगा, तब आ तहसील में जाकर भूमि की खातेदारी करवा देंगे, इसी दौरान अप्रार्थी प्रतिवादी सं0

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Surana
Date: 2021.03.15 14:23:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

1 ता 3 के पिता का स्वर्गवास हो गया, जिसके बाद प्रार्थीगण वादीगण अप्रार्थीगण प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 को खातेदारी दर्ज करवाने हेतु कहते रहे, लेकिन अप्रार्थीगण प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 भी प्रार्थीगण वादीगण को झूठे आश्वासन देते रहे कि तुम काबिज हो एवं काश्त करते रहो तथा प्रार्थीगण वादीगण के पिता बोदूराम का स्वर्गवास सन 2001 में हो गया। उक्त विवादित आराजीयात के आस–पास कॉलोनियों की बसावट हो चुकी है, जिससे जमीनों की किमतें बढ़ने से अप्रार्थीगण प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 की नियत में बदनियती आ गयी है और दिनांक 30–12–2012 को अप्रार्थीगण प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 बाहरी व्यक्तियों को साथ लेकर आये व प्रार्थीगण वादीगण के कब्जे काश्त की जमीन को दिखाने लगे, तब प्रार्थीगण वादीगण ने पूछा तो अप्रार्थीगण प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 ने प्रार्थीगण वादीगण को धमकी दी कि हम इस जमीन को बेचान करके रहेंगे, तुम राजी खुशी खाली करदो, वरना जबरन बेदखल करके रहेंगे, जिस धमकी के कारण प्रार्थीगण वादीगण को वाद कारण उदित होकर प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

उक्त विवादग्रस्त भूमियों का प्रार्थीगण वादीगण के पिता बोदूराम व अप्रार्थीगण प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 के पिता मुरलीधर के जीवनकाल में ही मनबट बंटवारा किया हुआ है, जिन मनबट बंटवारे में प्रार्थीगण वादीगण के हक हिस्से में खसरा नम्बर 3711 रकबा 0.51 हैक्टर सम्पूर्ण कब्जे में आई थी तथा अप्रार्थीगण प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 के कब्जे में खसरा नम्बर 3711/7426 रकबा 0.48 हैक्टर कब्जे में आई थी, शेष भूमि अन्य अप्रार्थीगण प्रतिवादीगण के हक हिस्से में चली आ रही है।

भूमि विवादग्रस्त पर प्रार्थीगण वादीगण के पिता का स्वर्गवास होने के बाद प्रार्थीगण वादीगण बहैसियत काबिज खातेदार चले आ रहे है। प्रार्थीगण वादीगण ने उक्त खसरा नम्बर 3711 रकबा 0.51 हैक्टर भूमि में पश्चिम सीमा के पास ईटों के 2 कमरे बना रखे है, जिस पर [illegible]शेड डाल रखे है तथा उक्त कमरों में प्रार्थीगण वादीगण मय परिवार के निवास करते आ रहे है तथा उक्त भूमि में 20 ट्रोली पत्थर, 10 ट्रोली मलबा, दो ट्रोली पक्की ईटों की एक ट्रोली बजरी की डाल रखी है तथा उक्त भूमि में 14 पेड़ बेर के, 8 पेड़ खेजड़ा 14 पेड़ बबूल, 4 पेड़ नीम व एक पेड़ करूंदा का लगा रखे है तथा उक्त भूमि के बीच में से होकर एक हाईवोल्टेज की लाईन गुजर रही है, इस प्रकार प्रार्थीगण वादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Surana
Date: 2021.03.15 14:23:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

उक्त भूमि का हर प्रकार से उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है तथा लगान शामलाती सरकार को अदा करते आ रहे है तथा खसरा नम्बर 3711/7426 रकबा 0.48 हैक्टर अप्रार्थीगण प्रतिवादीगण के मनबट बंटवारे में आया है, जिन पर अप्रार्थी प्रतिवादी सं0 ता 3 काबिज चले आ रहे है।

अप्रार्थीगण प्रतिवादीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से उपरोक्तानुसार पाबन्द नहीं किया गया तो विवादित भूमि को अप्रार्थीगण प्रतिवादीगण गलत दर्ज खातेदारी हिस्से का नाजायज फायदा उठाकर उक्त भूमि विवादग्रस्त को बेचान, रहन, हस्तान्तरण कर देगे। जिससे प्रार्थीगण वादीगण को अपने पुश्तैनी खातेदारी हक अधिकारों से वंचित होना पड़ेगा तथा प्रार्थीगण वादीगण को भारी परेशानी होगी। जिससे प्रार्थीगण वादीगण को अपूर्तनीय क्षति होगी, जिसकी क्षति पूर्ति होना प्रार्थीगण वादीगण के लिए किया जाना कतई सम्भव नही होगा व मुकदमें बाजी को बढ़ावा मिलेगा।

अतः प्रार्थना-पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा मय शपथ-पत्र पैश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण प्रतिवादीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा इस कदर पाबन्द फरमाया जावें कि वाद पत्र के मद नं0 3 में वर्णित भूमि विवादग्रस्त खसरा नम्बर 3711 रकबा 0.51 हैक्टर सम्पूर्ण में प्रार्थीगण वादीगण का 1/2 हिस्सा एवं खसरा नम्बर 3711/7426, 3712, 3713, 3715, 1718 कुल किता 5 का रकबा 1.26 हैक्टर वाके कस्बा चौमूं तहसील चौमूं जिला जयपुर की भूमि को अप्रार्थी प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 गलत खातेदारी के आधार पर बेचान हस्तान्तरण नहीं करे, तथा कब्जे से प्रार्थीगण वादीगण को बेदखल नहीं करें, ना ही उपयोग उपभोग में रूकावट करें, ना ही मौके पर बनी सींव डोल में तोड़-फोड़ स्वंय करे, ना ही अन्य से करावे एवं अप्रार्थी प्रतिवादी संख्या 20 भूमि विवादग्रस्त का कोई भी विक्रय-पत्र या अन्य दस्तावेज पंजिबद्ध नहीं करे। अप्रार्थी प्रतिवादी संख्या 21 भूमि विवादग्रस्त के राजस्व रिकार्ड में बिना न्यायालय आदेश के परिवर्तन नहीं करें, ना ही अपने ऐजेन्ट सर्वेन्ट या वर्कमेन से करवायें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Surana
Date: 2021.03.15 14:23:40 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली पेश हुई। [illegible] गण की तलबी की गई। अप्रार्थीगण [illegible] 10, 13, 14, 12, 19 बावजुद तलबी अनुपस्थित। अतः इनके विरूद्ध एक [illegible]क्षिय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 03 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि:-

Scanned with CamScanner

वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 1 लगायत 3 को एक ही परिवार के व्यक्ति बताया गया है, जो गलत व अस्वीकार है। प्रतिवादीगण सं0 1 लगायत 3 मुरलीधर की संतान है जो अलग घर में रहते है व वादीगण द्वारा प्रस्तुत सजरा खानदान भी गलत है। उक्त वर्णित भूमियों पर मुरलीधर ही काबिज काश्त था। अकेला मुरलीधर ही अपने जीवन काल में ख0 नं0 1790 की भूमि पर काश्तकारी कानून प्रभाव में आने से पूर्व से साधिकार निरन्तर रूप से काबिज काश्त रहा व उनके स्वर्गवास के बाद उनके विधिक वारिसान काबिज काश्त है। उक्त वर्णित सम्पति मुरलीधर की स्वअर्जित सम्पति थी तो प्रार्थीगण/वादीगण को कोई हक अधिकार नहीं है, कि वे प्रतिवादीगण सं0 1 लगायत 3 की निजी खातेदारी भूमि में से किसी प्रकार के हक हिस्से की घोषणा करवा सके। प्रार्थीगण/वादीगण द्वारा वर्णित तथ्य की मुरलीधर कर्ता खानतदान था व उसने बन्दोबस्त वालों से सांठ गांठ कर ली हो, गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थीगण/वादीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के मद नं0 5 में यह कहना कि अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 के पिता द्वारा व अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 द्वारा प्रार्थीगण/ वादीगण के भूमि नाम दर्ज करवाने की बात कपोल कल्पित व असत्य होने से अस्वीकार है। दिनांक 30.12.2012 को प्रार्थीगण/वादीगण द्वारा प्रस्तुत तथ्य कि अप्रार्थीगण/ प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 बाहरी व्यक्तियों को साथ लेकर आये व जमीन बेचने के लिए दिखाने लगे गलत होने से अस्वीकार है। वास्तविकता तो यह है कि दिनांक 29.12.2012 को रात को प्रार्थीगण/वादीगण व इनके परिवार के लोगों ने अनाधिकृत रूप से अपार्थीगण/ प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 की खातेदारी भूमि में प्रवेश कर अप्रार्थीगण/ प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 की खातेदारी भूमि पर बने कमरे का ताला तोड दिया व अप्रार्थीगण/ प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 के सामान को इधर उधर फेंक दिया व अनाधिकृत रूप से अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 की खातेदारी भूमि पर अवैध कब्जे की कोशिश की, जिसकी रिपोर्ट दर्ज करवाने दिनांक 30.12.2012 को अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 पुलिस थाना चौमूं गये तो पुलिस घटना स्थल पर गई व पुलिस द्वारा उक्त घटना की रिपोर्ट दर्ज नही कि गई तो अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 ने मान्य न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा मय अस्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर न्यायालय से मौके की स्थिति यथावत रखने बाबत् स्थगन प्राप्त किया जिसके मु0 नं0 03/13 है व पुलिस द्वारा उक्त स्थगन आदेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Surana
Date: 2021.03.15 14:23:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

की पालना नही कि गयी व न ही अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 द्वारा जो पुलिस थाना चौमूं में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी की गई। उसमें कोई कार्यवाही की गई। इससे व्यथित होकर अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 द्वारा दिनांक 04.01.2013 को एक परिवाद पत्र अन्तर्गत धारा 190 सीआर0 पी0 सी0 अपराध अन्तर्गत धारा 143, 447, 448, 452, 453, 456, 461 व 506 आई० पी० सी० मान्य न्यायालय अपर सिविल न्यायाधीश (क०ख०) एवं महानगर मजिस्ट्रेट सं0 25 जयपुर महानगर में प्रस्तुत किया जिसे मान्य न्यायालय ने 156 (3) सीआर0 पी0 सी में अनुसंधान हेतु दिनांक 05.01.2013 को पुलिस थाना चौमूं को भेजा गया जिसमें दिनांक 22.02.2013 को पुलिस थाना चौमूं ने भगवान सहाय, चौथमल, गंगाराम व सीताराम का चालान अर्न्तगत धारा 447 आई0पी0सी0 में प्रस्तुत हुआ है। प्रार्थीगण/वादीगण ने बिना किसी वाद कारण अप्रार्थीगण को हैरान परेशान करने के लिए उक्त वाद पेश किया है। प्रार्थीगण/वादीगण द्वारा वर्णित तथ्य कि ख0 नं0 3711 रकबा 0.51 है0 भूमि में पश्चिम सीमा के पास ईंटो के 2 कमरे बना रखे जिस पर लोहे के टीन शेड डाल रखे है व उक्त कमरों में प्रार्थीगण वादीगण मय परिवार के निवास करते आ रहे है, गलत व अस्वीकार है। उक्त भूमि अप्रार्थीगण/प्रतिवीगण संख्या 1 लगायत 3 की खातेदारी भूमि है व उक्त भूमि पर बने हुए कमरे, टीन शेड, पत्थर, मलबा, पक्की ईटे, बजरी आदि अप्रार्थीगण/ प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 के है व उक्त भूमि में लगे हुए बेर, खेजड़ा, बबूल, नीम व करूंदा के पेड़ अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 की खातेदारी भूमि पर उगे हुए पेड़ है जिसका अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 व अन्य खातेदार हर प्रकार से उपयोग उपभोग करते आ रहे है व लगान सरकारी अदा कर रहे है। अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 अपनी खातेदारी भूमि 3711/7426 में राजस्व रिकॉर्ड अनुसार काबिज काश्त है। प्रार्थीगण/ वादीगण का उक्त भूमि में कोई हक अधिकार निहित नहीं है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र अस्थायी [illegible] मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि आराजी ख0 नं0 3711 का रकबा [illegible] /7426, 3712, 3713, 3715, 3718 कुल किता 5 का कुल रक[illegible] 1.26 है0 वाके कस्बा चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर की भूमि पर न्यायालय श्रीमान् द्वारा जारी एकपक्षीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Surana
Date: 2021.03.15 14:23:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

मौके व रिकॉर्ड की अस्थायी निषेधाज्ञा को अपास्त/खारीज फरमाने का आदेश प्रदान करें।

अप्रार्थी प्रतिवादीगण संख्या 8 ता 9 व 11 की ओर से प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नही होना जाहीर किया है।

प्रार्थीगण वादीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया है कि विवादित आराजीयात जो की प्रार्थीगण वादीगण व अप्रार्थीगण प्रतिवादीगण की पुस्तैनी कब्जे काश्त की भूमि रही है। जिस भूमि में ख0न0 3711 रकबा 0.51 है0 भूमि प्रार्थीगण वादीगण के कब्जे में रही है। तथा ख0न0 3711/7426 रकबा 0.48 है0 अप्रार्थीगण प्रतिवादीगण के कब्जे रही है। अप्रार्थीगण प्रतिवादीगण के पिता मुरलीधर जो की प्रार्थीगण के पिता बोदूराम से छोटा था लेकिन परिवार का कर्ता खानदान होने से उसके नाम खातेदारी दर्ज हुई है। प्रार्थीगण वादीगण के प्रथम दृष्ट्या केश, सुविधा का संतुलन, अपुर्तनिय क्षति बखुबि साबित है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं न्यायालय द्वारा अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 16.01.2013 स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाने का निवेदन किया है। अप्रार्थीगण प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया है कि विवादित भूमि से प्रार्थीगण वादीगण का कोई लेना देना नही है ना हि कोई कब्जा है। प्रार्थीगण वादीगण ने भूमि पर जबरन कब्जा कर खामघरों का निर्माण किया है जिनके विरूद्ध पुलिस थाना चौमूं में मुकदमा दर्ज करवाया था एवं न्यायालय में चालान पेश हो चुका है। प्रार्थीगण वादीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज करने का निवेदन किया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजात के अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। प्रार्थीगण वादीगण ने वाद पत्र घोषणा दुरूस्ती इन्द्राज तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया है जिसमें प्रार्थीगण वादीगण के हक अधिकार तय होने है। प्रार्थीगण वादीगण ने प्रार्थना पत्र में सजरा खानदान प्रदर्शित किया गया है तथा प्रार्थना पत्र में वर्णित विवादग्रस्त आराजीयात पुश्तैनी होना अंकित किया तथा प्रार्थीगण वादीगण का उक्त विवादग्रस्त भूमि में ख0न0 3711 रकबा 0.51 है0 भूमि पर खामघर एवं निवास होना अंकित किया है। जिससे प्रथम दृष्टया केश, सुविधा का संतुलन एवं अपुर्तनीय क्षति के बिन्दु प्रार्थीगण वादीगण के पक्ष में साबित होते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Surana
Date: 2021.03.15 14:23:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

अतः प्रार्थीगण वादीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा ता फैसला वाद स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय के अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 16.01.2013 को ता फैसला वाद स्वीकार किया जाकर उभय पक्षकारान को विवादित भूमि ख0न0 3711 रकबा 0.51 है0, ख0न0 3711/7426, ख0न0 3712, ख0न0 3715, ख0न0 3718 कुल किता 5 का कुल रकबा 1.26 है0 वाके करबा चौमूं तहसील चौमूं जिला जयपुर की मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 22.02.2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

श्री अभिषेक सुराना
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी चौमूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhishek Surana
Date: 2021.03.15 14:23:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner